संख्या-48/2015/क0नि0-4-1685/11-15-300(21)/2015

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

विषयः- निक्सी द्वारा वाणिज्य कर विभाग के 2000 अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः आई0टी0-NIC S/W-(Digital-Sig.)-(2015-16)/764/वाणिज्य कर, दिनांक 10 नवम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग के 1886 अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर बनवाये जाने हेतु NICSI के प्रोफार्मा इन्वायस दिनांक 02-11-2015 के आधार पर रूपये 19,42,884.00 (रूपये उन्नीस लाख बयालीस हजार आठ सौ चैरासी मात्र) का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.3.2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

2- शासनादेश संख्या: 23/2015/क0नि0-4-657/11-2015- 300(24)/2014, दिनांक 08-04-2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनेत्तर बजट के अनुदान संख्या-89 में, मद सं0-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय मद में रूपये 100000.00 हजार (रू0 दस करोड़) की धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्था के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या-48/2015/क0नि0-4-1685(1)/11-2015, तदिदनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।